संख्या–1/3/96/का–4–2020

दिनांक 07.02.2020

ग्राम्य विकास विभाग की तरह सभी सरकारी विभागों में सभी स्तर के पदों पर स्थानान्तरण मेरिट बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.2020 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

मेरिट बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम सभी सरकारी विभागों में विकसित किये जाने के संबंध में आज मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। बैठक में उत्तर प्रदेश शासन के सभी विभागों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। उपस्थित पदाधिकारियों की सूची संलग्न है।

बैठक का प्रारम्भ ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ऑनलाइन ट्रान्सफर सिस्टम व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मेरिट बेस्ट ऑनलाइन ट्रान्सफर सिस्टम का एक साफ्टवेयर बनाया गया है, जिसमें विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ट्रान्सफर श्रेष्ठता के आधार पर पारदर्शिता एवं समरूपता के दृष्टिगत किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के सम्बन्ध में सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा कुछ जिज्ञासायें व्यक्त की गयी, जिसके सम्बन्ध में विचार–विमर्श हुआ और मुख्य सचिव महोदय द्वारा मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम वर्तमान स्थानान्तरण सत्र से ही लागू किये जाने के लिए समस्त विभागों को निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

1. सरकारी अधिकारियों के कार्य एवं क्षमता के प्रदर्शन का तुलनात्मक मूल्यांकन करते हुए उनको श्रेणीबद्ध किया जाए ताकि अधिकारियों के सम्पूर्ण सेवाकाल के कार्य के आधार पर मूल्यांकन हेतु ग्रेडिंग की जाए। इस ग्रेडिंग का आधार वरिष्ठता, वार्षिक मूल्यांकन, कार्य निष्पादन, सामान्य ख्याति, शिकायतें, विभागीय कार्यवाही, दण्ड एवं अन्य मानक हो सकते हैं, जिसे प्रत्येक विभाग अपनी आवश्यकतानुसार पृथक–पृथक निर्धारित करेंगे।
2. सभी विभाग अपने यहॉ सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर आई.टी. विभाग को सॉफ्टवेयर विकसित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिनांक 07.02.2020 तक भेज कर कार्मिक विभाग को अवगत करायेंगे।

   मितव्ययिता के दृष्टिगत आई.टी. विभाग यूपीडेस्को से विचार–विमर्श कर सभी विभागों के लिये एक यूनीफार्म माड्यूल बनवाकर एकीकृत सॉफ्टवेयर विकसित करायेंगे। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य

सचिव, कार्मिक विभाग के स्तर पर बैठक भी करायेंगे। यह कार्यवाही एक माह के अन्दर पूरी की जायेगी।

3. सभी विभाग प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च, 2020 तक सॉफ्टवेयर अन्तिम रूप से विकसित कराकर टेस्टिंग एवं सर्टिफिकेशन का कार्य करा लेंगे।
4. आई.टी. विभाग एवं एन.आई.सी के माध्यम से समस्त विभाग अपनी–अपनी वेबसाइट रखेंगे और उसे अपडेट रखेंगे। यह भारत सरकार के (GIGW) गाइडलाईन के अनुरूप होना चाहिए।
5. आई.टी. और एन.आई.सी. के मदद से जो सॉफ्टवेयर विकसित किया जायेगा, उसमें कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत किये जाने वाले स्थानान्तरण नीति के मुख्य बिन्दुओं को आत्मसात करने की सीमा तक लचीलापन होना चाहिए।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा अन्त में यह निर्देश दिये गये कि दिनांक 31 मार्च, 2020 तक सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए, सुविकसित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके पुष्टि कर ली जाए कि यह सही कार्य कर रहा है अथवा नहीं? ताकि आगे समस्या न हो और अगले सत्र से तद्नुसार स्थानान्तरण किये जा सकें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

07/02/2020

(शीतला प्रसाद)
विशेष सचिव
कार्मिक विभाग, उ0 प्र0 शासन

सेवा में,

श्री–....(नाम से),
समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव
उ0 प्र0 शासन।